International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 9 Issue 8 Ser. III || August 2020 || PP 98-100

20वीं शताब्दी में हरिजनोद्धार के प्रयास (पूर्वी राजस्थान के संदर्भ में)

डॉ. मीना अम्बेष
सह आचार्य
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर

राजस्थान मे ंतो अस्पृष्यता की भावना इतनी अधिक थी कि किसी उच्च जाति के व्यक्ति पर अछूत की परछाई मात्र पड़ जाने से वह अपवित्र हो जाता था। अतः गांव या नगर के बाहर रहने वाला अछूत व्यक्ति नगर या गांव में आता तो वह अपने साथ एक लकड़ी या ध्वनि उत्पन्न करने वाला वाद्य लेकर आता था तथा लकड़ी को जमीन पर जोर–जोर से मारकर आवाज उत्पन्न करता था या ध्वनि उत्पन्न करने वाला वाद्य बजाते हुए चलता था ताकि उसकी आवाज सुनकर लोग दूर हट जायें ताकि उन पर अछूत की परछाई भी न पड़ सके।

सारांष– पूर्वी राजस्थान की अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर रियासत में अछूतों की स्थिति दयनीय अवस्था में रही है। अछूतों की स्थिति को सुधारने में आर्य समाज, हरिजन सेवा संघ, प्रजामण्डल ने विषेष भूमिका निभाई है। उक्त शोध पत्र में 20वीं शताब्दी में किये गये प्रयासों का सामूहिक अध्ययन करने का प्रयास किया जायेगा।
शब्द कुंजी–आर्य समाज, पूर्वी राजस्थान, हरिजन सेवा संघ, प्रजामण्डल, हरिजनोद्धार, गांधी।

राजस्थान मे अस्पृष्यता की भावना इतनी अधिक थी कि किसी उच्च जाति के व्यक्ति पर अछूत की परछाई मात्र पड़ जाने से वह अपवित्र हो जाता था। अतः गांव या नगर के बाहर रहने वाला अछूत व्यक्ति नगर या गांव में आता तो वह अपने साथ एक लकड़ी या ध्वनि उत्पन्न करने वाला वाद्य लेकर आता था तथा लकड़ी को जमीन पर जोर–जोर से मारकर आवाज उत्पन्न करता था या ध्वनि उत्पन्न करने वाला वाद्य बजाते हुए चलता था ताकि उसकी आवाज सुनकर लोग दूर हट जायें ताकि उन पर अछूत की परछाई भी न पड़ सके। पूर्वी राजस्थान में भी अछूतों की स्थिति दयनीय थी।

करौली–पूर्वी राजस्थान की करौली रियासत में जो कि रूढ़िवादिता का गढ़ था यहां दलितों की स्थिति अत्यन्त दयनीय स्थिति थी। 1932–33 में राज्य में 22,481 अछूत थे। राज्य में निजी और सरकारी सैकड़ों मंदिर थे, लेकन उनमें से एक भी हरिजनों के लिए खुला नहीं था। वे लोग जो हिन्दू थे, उन्हें पूजा के अधिकार से वंचित करना पूर्णतः अन्यायपूर्ण और आत्मघाती था। हरिजनों के बच्चों को स्कूलों में प्रवेष नहीं दिया जाता था। यद्यपि एक स्कूल खोला गया था, लेकिन उसे भी सवर्ण हिन्दुओं के विरोध के कारण बंद कर दिया गया। इसके अलावा सवर्ण हिन्दुओं की उपस्थिति में ये घोड़े पर नहीं चढ़ सकते थे, घी से मिठाई नहीं तैयार कर सकते थे और सोने चांदी के आभूषण नहीं पहन सकते थे।

धौलपुर– में भी अछूतों की एक बड़ी संख्या थी। 1933 में राज्य में अछूतों की कुल संख्या 45,332 थी। ''राजपूताना बोर्ड ऑफ दि सर्वेण्ट्स ऑफ दि अनटचेबल्स सोसायटी'' ने धौलपुर राज्य में धौलपुर शहर और आस–पास के क्षेत्रों से 9000 अछूतों की दषा का सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षित क्षेत्र में 175 मंदिर थे, लेकिन उनमें से एक भी हरिजनों के लिए खुला नहीं था। यद्यपि उन्हें स्कूलों में प्रवेष दिया जाता था, लेकिन वे उंची जाति के हिन्दूओं से कुछ दूरी पर बैठने को मजबूर थे। धौलपुर स्टेट सर्विस एपॉन्इटमेंट रूल्स 1941 के द्वारा भी 1941 के द्वारा भी अस्पृष्यों की पुलिस में भर्ती प्रतिबंधित कर दी गयी।

अलवर और भरतपुर राज्यों में भी अस्पृष्यों की स्थिति दयनीय थी। हरिजन किसी सवारी, तांगे या घोड़े पर नहीं बैठ सकते थे, वे छाता नहीं लगा सकते थे। घर में जो धान बनता था उसे बाजार में बेचने पर प्रतिबन्ध था। इस तरह से सामाजिक रूढ़िवादिता ने हरिजनों की जिन्दगी को नितान्त अमानवीय बना दिया था।

पूर्वी राजस्थान में सामाजिक चेतना लाने में आर्य समाज एवं गांधीकाल में कांग्रेस की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। इस क्षेत्र में उनके विषिष्ट प्रयासों की समीक्षा वैचारिक एवं व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में प्रस्तुत करना अभीष्ट होगा।

वृहत हिन्दू समाज में व्याप्त जाति–पाति तथा अस्पृष्यता के दूषित विचारों को दूर करने के लिए आर्य समाज प्रारम्भ से ही प्रयत्नषील था। आर्य समाज जन्म के कारण न किसी को उंचा मानता है और न किसी को नीचा। उसकी दृष्टि में मनुष्य अछूत नहीं था। जन्म के कारण ब्राह्मणों की उत्कृष्टता आर्य समाजियों को स्वीकार नहीं थी। आर्य समाजी अछूतों व दलितों के उद्धार में तत्पर थे और शुद्धि द्वारा विधर्मियों को अपने समाज में सम्मिलित करने के लिए प्रयत्नषील थे। स्त्रियों और शूद्रों का भी उनके द्वारा उपनयन संस्कार कराया जा रहा था और वे भी वेदषास्त्रों के पठन पाठन के अधिकारी हैं, इस मंतव्य का उनके द्वारा प्रचार किया जा रहा था।

1920 के बाद जब कांग्रेस का नेतृत्व गांधी के हाथ में आया तब कांग्रेस के लक्ष्यों और उद्देष्यों में फर्क आया। गांधी हिन्दू समाज की घृणित प्रथा अस्पृष्यता के घोर विरोधी थे। गांधी के अनुसार स्वतंत्रता के मूलाधार पर कुठाराघात होता है जब समाज किसी व्यक्ति को उसके धर्म, विष्वासों और पूर्वजों के कर्मों, उसकी नाक के स्वरूप, उसकी चमड़ी के रंग, उसके नाक की ध्वनि, या उनके जन्म स्थान या सम्पत्ति के आधारों पर समान अधिकारों से वंचित करता है। महात्मा गांधी की स्वतत्रंता की संकल्पना में हिन्दु अनैतिकता के लिये उसी तरह कोई स्थान नहीं था, जैसे कि ब्रिअिष प्रषासन का। ''यंग इंडिया'' के 25 मई 1921 के हंक में उन्होंने लिखा ''स्वराज्य या स्वतंत्रता अर्थहीन है जब तक हम हिन्दुस्तान की आबादी के बीस प्रतिषत हिससे को सतत अधीनता में रखना चाहते हैं..... स्वयं अमानवीय होते हुए हम ईष्वर सेप्रार्थना नही कर सकते हैं कि वह हमें दूसरों की अमानवीयता से मुक्ति प्रदान करे। वह अस्पृष्यता की निंदा करते हये नहीं थकते थे। इस बुराई के बारे में उनका कहना था कि ''अगर कोई यह सिद्ध कर दे कि अस्पृष्यता हिन्दू धर्म का अभिन्न अंग है तो कम से कम मैं तो यह घोषणा कर ही दूं कि मैं हिन्दू धर्म का खुल्लम खुल्ला विरोधी हूं। वह यह भी मानते कि थक अगर ाजितप्रथा और अस्पृष्यता समाप्त हो जाये तो हिन्दू–मुस्लिम एकता का मार्ग भी सरल हो जायेगा। इसीलिए गांधीजी ने जहां एक ओर अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष के लिए अहिंसा को हथियार बनाया वहीं उन्होंने अस्पृष्यता निवारण एवं दलित वर्गों की दषा सुधारने की ओर विषेष ध्यान दिया।

हरिजनोद्धार के लिए समर्पित ''हरिजन सेवा संघ'' एक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसकी स्थापना 1935 में घनष्यामदास बिड़ला, अमृतलाल ठाकुर और नारायणदास मल्कानी के संरक्षण में हुई थी। अजमेर से सात मील उत्तरपूर्व में नरेली में इस संघ ने एक आश्रम की स्थापना की। सदस्यों को संस्थासियों के समर्पण भाव से जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इस संघ की प्रेरणा पर ही अलवर हरिजन सेवक समिति और भरतपुर में हरिजन सेवक समिति की स्थापना हुई जिन्होंने हरिजनों को अपनी स्थिति के प्रति जागरूक बनाने में आष्चर्यजनक सफलता प्राप्त की। करौली के चिरंजी लाल शर्मा अलवर के श्री रामावतार शर्मा और भरतपुर के श्री गोकुल वर्मा इस संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता थे। संघ ने अपने उद्देष्यों के प्रचार के लिए अंग्रेजी, हिन्दी और गुजराती में तीन पत्र प्रकाषित किये।

अलवर में भी अस्पृष्यता के विरूद्ध प्रयास प्रारम्भ किये गये। अलवर के राजा जयसिंह ने ''भारत धर्म महामण्डल अधिवेषन'' बनारस 23.04.1933 में पण्डितों से अपील की कि वे अस्पृष्यता की समस्या का कोई समाधान ढूंढे। अलवर हरिजन सेवक संघ आन्दोलन ने हरिजनों को अपनी स्थिति के प्रति जागरूक बनाने के प्रयास किये। श्री नत्थूराम मोदी जो प्रजामण्डल के संस्थापक सदस्यों में से थे, ने प्रजामण्डल की स्थापना के पहले अपना अधिक से अधिक समय अस्पृष्यता निवारण की प्रवृत्तियों में लगाया। पं. हरिनारायण शर्मा के साथ मिलकर मोदी जी ने कई हरिजन पाठषालाओं का संचालन किया। पं. हरिनारायण शर्मा 1923 में अपने परिवार का मंदिर हरिजनों के लिए खोलकर तहलका मचा दिया। उस समय गणेष लाल, गुजारी लाल, मास्टर रामावतार और इन्द्रसिंह आजाद आदि मोदी जी के सहयोगी और सहकर्मी थे।

धौलपुर में श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने राज्य भर में हरिजनोद्धार के आन्दोलन का संचालन किया। यह आन्दालन भी स्वतत्रंता संगाह का ही अंग था। अस्पृष्यता की सामाजिक रूढिवादीता के विरूद्ध प्रदर्षन और सभायेंअ ायोजित की गई। इस आन्दोलन के फलस्वचरूप अधिकारियों को समस्त मांगे स्वीकार करनी पड़ी। उन्ही दिनों इस आन्दोलन के कारण आन्दोलन के कारण अधिकारियों को हरिजन वर्ग के लिए स्कूल की व्यवस्था करनी पड़ी। ताकि उनके बच्चे पढ़ सके। 1937 में अधिकारियों को सार्वजनिक स्कूलों में हरिजनों के बच्चों को दाखिला कराने और उन्हें उचित संरक्षण देनले की मांग स्वीकार करने को विवष होना पड़ा। श्री जिज्ञासु द्वारा प्रारम्भ किये गये हरिजनोद्धार आन्दोलन ने अन्य बहुत से व्यक्तियों को प्रेरणा दी और वे भी हरिजन सेवा के कार्य में लग गये।

दलितोद्धार के लिये किये गये इन प्रयासों का ही परिणाम था कि हरिजन भी संगठित होकर अपनी मांगे उठाने लगे थे। भरतपुर शहर के हरिजनों ने मांग की थी कि उनकी मजदूरी, वेतन बढ़ाये जाये, उन्हें षिक्षा की सुविधायें प्रदान की जाये। साथ ही उन्हें सार्वजनिक यातायात के साधनों के उपयोग का भी अधिकार हो। भरतपुर नगर परिषद् ने हरिजनों की मांगों पर विचाार करने के लिए एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने हरिजनों की षिक्षा के लिए एक षिक्षक नियुक्त करने की अनुषंसा की। 01.06.1940 से परीक्षण के तौर पर हरिजनों की षिक्षा के लिये एक षिक्षक नियुक्त किया गया। वस्तुतः सरकार द्वारा इस तरह का कदम बाध्य होकर ही उठाया गया था, क्योंकि समाज सुधारकों द्वारा पहले से ही हरिजनों में षिक्षा के प्रसार का प्रयास किया जा रहा था। हरिजनों द्वारा सार्वजनिक यातायात के साधनों में बैठने की सुविधा वास्तव में एक ऐसी मांग थी जो दलितोद्धार के लिये किये जा रहे सतत प्रयासों कीी सफलता को उजागर करती थी। 1900 के पहले सम्भवतः वे इस बारे में सोच सकते की भी हिम्मत नही कर सकते थे। यद्यपि नगर परिषद्ने उनकी इस मांग पर कहा कि वह किसी व्यक्ति को इस बात के लिये बाध्य नहीं कस सकती िकवह हरिजनों के समीप बैठे। इससे हरिजन लोग भी सहमत हो गये। इस तरह से उनकी यह मांग केवल मांग ही रह गई। लेकिन सका सही महत्व इस रूप में है कि यह हरिजनों के परिवर्तित दृष्टिकोण को दर्षाती है।

इस सबके बावजूद दलितोद्धार, जात–पात के भेद को मिटाने में उद्देष्यों के अनुरूिप सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसका एक मुख्य कारण तो उस समय का राजनीतिक वातावरण था, उस समय सारे देष की मुख्य प्राथमिकता राजनीतिक स्वतत्रंता की प्राप्ति थी। इसीलिए देष की अधिकांष रचनात्मक शक्ति उस ओर लगी हुई थी। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य आर्य समाजियों का सनातन धर्मियों द्वारा विरोध था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की अधिकांष हिन्दू जनता का एक बड़ा हिस्सा, सनातन धर्मी था। इस वर्ग ने आर्य समाज की गतिविधियों के प्रति असंतोष ही जाहिर नहीं किया वरन् आर्य समाज की प्रगति को रोकने के लिय हर सीाव तरीके भी अपनाये गये। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि दलित कही जाने वाली जातियों में आपसे में मतभेद थे। चमार अपने आपकों मेहतरों से उंचा समझते थे

तथा उनके साथ वे उठना–बैठना और खान–पान पसन्द नहीं करीते थे। कहा जा सकता है कि अभी उंची कही जाने वाली जातियों और नीची कही जाने वाली जातियों के लोग किसी बड़े सामाजिक परिवर्तन के लिये तैयार नहीं थे।

निष्कर्ष–भारतवर्ष की अन्य रियासतों की भांति राजपूताना में भी दलितों की स्थिति अत्यन्त दयनीय अवस्था में रही है। समाज उंच–नीच व जात–पात के कुचक्र में फंसा रहा। यद्यपि सरकारी व गैर सरकारी संगठनों ने गांधी जी के साथ मिलकर हरिजनोंद्धार के प्रयास अवष्य किये लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन नही आ सका है। अतः समाज के ढांचे को नया संरचनात्मक स्वरूप दिये जाने की आवष्यकता है जहां मनुष्य को मनुष्य के नाते महत्व दिया जाये न कि जात–पात की दृष्टि से।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- सिंह रामगोपाल–सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष पृ. 28
- वर्मा, एम.बी.–हरिजन सेवक संघ का इतिहास, पृ. 26
- समाचार पत्र–तेज प्रताप 28 अगस्त 1938, अंक 23, राजस्थान राज्य अभिलेखागार अलवर से प्राप्त
- दी हिन्दुस्तान टाइम्स, 14 अक्टूबर 1933
- रामनारायण चौधरी–हरिजनस इन करौली, दी हिन्दुस्तान टाइम्स, नवम्बर 3, 1933
- वर्मा, जी.सी., पृ. 295
- बस्ता नं. 183, क्र. 07, फाई नं. 53/1/42 रा.रा.अभि. अलवर, पृ. 4